

Influence of Savitri Bai Phule in women empowerment

महिला शसक्तिकरण में सावित्री बाई फुले का योगदान

Amrit Lal Chandrabhash
Associate Professor (Raj.Science)
Sh.Lal Chakradhar Shah Mahavi. ambagarh outpost
District- Rajnandgaon (Chhattisgarh)

प्रस्तावना :-

सावित्री बाई ज्योतिराव फुले भारतीय समाज की एक ऐसी नारी है, जिसका नाम आते ही भारतीय संस्कृति में हलचल सा छा जाता है। जो एक प्रख्यात सामाजिक सुधारक, शिक्षाविद् और कवियत्री के नाम से जाना जाता है। जिन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी के समय में महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। सावित्री बाई फुले अपने पति ज्योतिराव फुले के मार्ग में चलना उचित समझा और समाज सुधार के कार्य में जुट गये। उनके द्वारा शिक्षा को मुख्य हथियार के रूप में चुना गया। वे समझ चुके थे, कि शिक्षा के बिना मानव विकास सम्भव नहीं है।

मानव समाज में स्त्री पुरुष को बनाने में प्रकृति ने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। दानों ही मानव समाज के लिये गाड़ी के दो पहिये के समान होता है। जिसमें दोनों पहियों की गाड़ी को आगे बढ़ाने में बराबर का योगदान रहता है। यदि किसी एक पहिया गाड़ी का खराब हो जाये तो गाड़ी का आगे बढ़ना मुश्किल है। किन्तु हमारे पितृ प्रधान समाज होने के कारण से स्त्री पक्ष की हमेशा से अवहेलना होते रहा है। स्त्री को कभी भी पुरुष के समान दर्जा नहीं दिया है। इस वजह से स्त्री समाज में महत्वपूर्ण होने के बाद भी पीछे पिछड़ते गये। हॉलाकि ग्रंथों में नारी के यश गान का भी वर्णन है। "यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवताः" अर्थात् जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन ये यश गान करने मात्र से नारियों को सम्मान नहीं मिल जाता। स्त्रियों को स्वयं आगे आना होगा, अपने हक अधिकारों के लिये संघर्ष करना होगा। इसके लिये महिला सशक्तिकरण अति आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, धार्मिक, कला एवं संस्कृति आदि सभी क्षेत्रों में स्त्री उत्थान होना चाहिये। आज नारियों के सम्मान में महिला दिवस मनाया जाता है, और हम सोचते हैं, कि महिलाओं का उत्थान हो गया। जबकि हमें वास्तव में महिलाओं को सम्मान देना है, तो समाज में उनके विरुद्ध हमारे राक्षसी सोंच को त्यागना पड़ेगा। जैसे- दहेज प्रथा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति हो रहे घरेलू हिंसा, वैश्यावृत्ति, महिला तस्करी, टोनही प्रथा, बालिका अशिक्षा आदि।

स्त्री को समाज की शक्ति माना जाता है। स्त्री से ही मानव संतति का अस्तित्व रहता है। इस सृजन कारी शक्ति को जीवन के समस्त क्षेत्रों आगे बढ़ने का सुअवसर प्रदान करना चाहिये। चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा संस्कृति क्षेत्र हो।

सावित्री बाई फुले का जीवन परिचय :- घर के रुढ़िवादी सामाजिक परम्परा रूपी लौह आवरण को तोड़कर नारी समाज को शसक्त बनाने के मार्ग में निकल पड़े सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 ई. का महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव धनिकवाणी में हुआ था। इनके पिता का नाम खण्डेराव पाटिल और माता का नाम लक्ष्मी बाई था। बहुत ही कम उम्र में विवाह सन् 1840 ई. में 9 नौ वर्ष के आयु में ही हो गया था। इनके पति का नाम ज्योति राव फुले था, उनका भी विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। तत्कालीन समय में जो समाज के लिये संघर्ष कर समाज को एक नया दिशा देने का कार्य किया वह बहुत ही अकल्पनीय रहा है। घोर ब्राम्हणवादी परम्परागत सामाजिक व्यवस्था, छूआ-छूत, बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा, बहु विवाह, विधवा विवाह निषेध आदि का खुलकर विरोध किया। इस पुनित कार्य में ज्योति राव फुले का बहुत योग दान रहा। विवाह के बाद ज्योति राव फुले अपने धर्मपति को खुद पढ़ाने का काम किया। नार्मन स्कूल में अध्यापन संबंधी प्रशिक्षण लेने के बाद 1948 ई. में अहमद नगर में प्रशिक्षित अध्यापिका बन गयी। किन्तु आगे का मार्ग और भी कठिन था। कट्टरपंथी विचार धारा के लोगों के द्वारा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले का घोर विरोध किया कि एक निम्न वर्ग के स्त्री जो सामाजिक दृष्टि से अशुभ है, के द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाना कट्टरपंथी हिन्दुओं के लिये असहनीय था। इस समय स्त्री शिक्षा को विद्रोही कदम माना जाता था। सावित्री बाई फुले जब घर से पाठशाला जाने के लिये निकलती तब रास्ते में लोगों के द्वारा गन्दी-गन्दी गाली देना, उन पर थूकना, पत्थर मारना, यहां तक कि उनके ऊपर गोबर फेंकना आदि। इसके बाद भी सावित्री बाई फुले उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हैं, कि मैं आपके बहनों को पढ़ाती हूं और आप लोग मेरे कार्य में सहयोग

करने बजाय विरोध कर रहे हो। तत्कालीन भारतीय समाज जातिवाद में बटा हुआ था। उसमें सबसे निम्न स्थिति सेड्युल कास्ट के लोगों का था। उसे न पढ़ने का अधिकार था न मंदिर में जाने का अधिकार था उसे सार्वजनिक जगह में बैठने का भी अधिकार नहीं था। इस कारण से इस अशुभ जाति के महिलाओं को बहुत ज्यादा सामाजिक अधिकारों से वंचित होना पड़ता था। उसे इसलिये नहीं पढ़या जाता कि वह पढ़ लिखकर अपनी सामाजिक मर्यादा को लांघ जायेगी और घर की इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। सावित्री बाई फुले ने सभी प्रकार के असमानता एव शोषण का कारण अशिक्षा को मानते थे। इस कारण नारी समाज में हो रहे अन्याय एवं अत्याचार के प्रति उनके मन में विद्रोह भर दिया। ब्राम्हण समाज के द्वारा रचे प्रपंच को उखाड़ कर फेंकने के लिये शिक्षा नामक शस्त्र उठा लिया, और अपने पति के सहयोग से नारी शिक्षा के महान् कार्य को आगे बढ़ाया।

शोध प्रविधि:—इस शोध पत्र के लिये शोध सामग्री अधिकांश रूप से द्वितीयक स्रोतों से ग्रहण की गयी है। इसमें ऐतिहासिक विश्लेषण व वर्णात्मक दृष्टिकोण के साथ-साथ शोधकर्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को भी स्थान दिया है। शोध सामग्री प्रसिद्ध पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं व समाचार पत्रों से प्राप्त की गई है।

कठिन शब्दावली :- अशुभ, अबासिन, अश्लील, रेजा, मजूरी रजस्वला धतुरा, शय्या आदि

उद्देश्य :-

1. महिलाओं को जागरूक करना ।
2. महिला शिक्षा को बढ़ावा देना ।
3. महिलाओं के ऊपर हो रहे अन्याय का प्रतिकार करना ।
4. महिला शसक्ति करण हो बढ़ाना ।
5. महिलाओं के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना ।
6. महिला आत्मनिर्भरता को विकसित करना ।
7. महिला संगठन को मजबूत करना ।
8. महिलाओं के सामाजिक समृद्धि को ऊपर उठाना ।
9. महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाना ।
10. महिलाओं की शासकीय सेवा के प्रति रुझान बढ़ाना ।

महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली गतिरोध :-

1. रूढ़िवादी विचार धारा :- हमारे आसपास के सामाजिक वातावरण में ऐसे कई प्रकार के रूढ़िवादी विचार धारा देखने को मिलता है। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, उसे घुंघट में हमेशा रहना चाहिये, पर पुरुष से बात नहीं कर सकती, उसे हमेशा अपने पति के आदेश का पालन करना चाहिये। समस्त सामाजिक परम्परागत नियम कानून जैसे भगवान ने उसी के लिये बनाया गया हो।

2. पुरुष प्रधान समाज :- हम ऐसे परिवेश में जीवित हैं, जहां पुरुष वर्चस्वता विद्यमान है। घर हो या बाहर सभी जगह निर्णय निर्माण करने की शक्ति पुरुष प्रधान समाज में निहित है। महिलाओं की राय किसी भी स्थिति में नहीं लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाओं को शादी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी राय नहीं ली जाती है। किसी भी लड़के के साथ उसकी शादी तय कर दी हो, उसे वह भी मंजूर करना पड़ता है, लड़कियों को विरोध का कोई अधिकार नहीं होता है।

3. महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा :- समाज में अधिकांश रूप से देखा गया है, कि महिलाओं के साथ घर के बड़े बुजुर्गों के द्वारा अपने घर के बहु बेटियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। बहु के ऊपर सब अपना हक जमाने का प्रयास करते हैं। पति का रौब, देवर का रौब, देवरानी का नखरा, सास ससुर का आदेश सब के सब कुछ न कुछ दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। अगर किसी बात को लेकर बहु मुंह खोले तो परम्परा एव रीति रीवाज का हवाला देकर चुप करा देते हैं, इसके बाद भी कुछ बोले तो गाली गलौच, मार पीट पर भी उतारू हो जाते हैं। घरेलू हिंसा सभी घरों में कम ज्यादा देखने को मिल जाता है। बहु घर का माहौल न बिगड़े कह कर चुपचाप सहन कर लेती है। बहुत ज्यादा अत्याचार होने पर ही न्यायालय तक बात पहुंचती है। घरेलू हिंसा कई प्रकार से हो सकता है जैसे— उसके परिवार का बुराई करना, ताने मारना, बहु की बुराई करना, बात बात में चिल्लाना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति न करना, दहेज की बात करना, दूसरों की बहु से तुलना करना आदि।

4. भ्रूण हत्या :- समाज में लैंगिक असमानता इस कदर हावी है कि लोगों को लड़का बच्चा ही चाहिये, लड़का को ही घर का चिराग समझते हैं। इस कारण से गर्भवती महिला का पेट के अंदर ही चेक करवाकर देख लेते हैं, कि पेट में बच्चा पल रहा है, यह लड़का है, या लड़की, यदि लड़की है, यह मालूम होते ही अबासिन करवा कर बच्चा गिरा देते हैं। इस तरह से बच्चे के जन्म के पहले ही मार दिया जाता है। यह हमारे समाज की क्रूर हिंसा है। किसी किसी समाज में कन्या के जन्म को अशुभ माना जाता है।

5. बालिका शिक्षा में भेदभाव :- हमारे परिवार और समाज का परिवेश इस प्रकार का होता है। बालक की पढ़ाई पर पूरा ध्यान रहता है, किन्तु बालिका की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। बालक को अच्छे पाठशाला में पढ़ाना उसके ऊपर अधिक धन खर्च करना आदि। बालिका को हम पराये धन समझते हैं, इस कारण से वे हमेशा उपेक्षा का शिकार होती हैं। बालिका अच्छी शिक्षा तो दूर उसे पढ़ाना भी नहीं चाहते, यह ज्यादातर ग्रामिण परिवेश में देखने को मिलता है। जिसके कारण स्त्री पुरुष साक्षरता में अंतर देखने को मिलता है।

6. असंगठित महिला मजदूर :- महिलाएं अधिकांश रूप से ग्रामिण क्षेत्रों में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिसका कोई संगठित मजदूर संघ नहीं होता। रेजा मजदूरी ही प्रमुख होता है, जिसके कारण हमेशा शोषण का शिकार होता है, और खेत मालिक अपनी मर्जी से पारिश्रमिक देता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम दिहाड़ी मिलती है। इसके बाद भी असंगठित होने के कारण अपने हक के लिये आवाज नहीं उठा पाते।

7. कार्य स्थल में महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव :- सरकारी दफ्तर हो या निजी दफ्तर उसमें कार्य करने वाले महिला सहकर्मी की संख्या बहुत कम होती है। पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है। इस कारण से पुरुष वर्चस्वता स्थापित हो जाती है, जिसके कारण महिला सहकर्मी के ऊपर भद्दा मजाक, अश्लील हरकत, अश्लील बातें करना, जानबुझकर उसके शरीर को टच करना, उनके निजी अंगों के बारे में बातें करना आदि।

8. आर्थिक क्षेत्र में असमानता :- आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति पुरुष पराश्रितता होती है, उन्हें आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का अवसर ही नहीं मिलता। समस्त व्यवसाय पुरुषों द्वारा संचालित किया जाता है। महिलाओं को घर में खाना बनाने एवं बच्चों की पालन पोषण करने तक सीमित कर दिया जाता है।

9. धार्मिक क्षेत्र में असमानता :- धार्मिक क्षेत्र में भी महिलाओं को पुरुष के समान आजादी नहीं है। कई धार्मिक स्थल में उन्हें जाने की अनुमति नहीं है। माहवारी के समय उसे रसोई घर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती है। उसके छूने मात्र से भगवान अपवित्र हो जाते हैं।

10. पर्दा प्रथा :- महिलाओं को हमेशा पर्दा में रहने को बाध्य किया जाता है। मुगल काल में अकबर ने फरमान जारी किया था कि जो स्त्री बिना पर्दा के बाजार जाती है उसे वेश्यालय भेज दिया जाय। इसका जिक्र प्रसिद्ध इतिहासकार अब्दूल कादिर बदायुं ने अपने ग्रंथ में किया है।

11. बाल विवाह :- तत्कालीन समाज में बाल विवाह जैसे कुप्रथा विद्यमान था। छोटे उम्र के लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है। जो विवाह क्या है उसे जानते तक नहीं। जिस समय उनकी घूमने फिरने, खेलने का समय होता है, शारीरिक विकास का समय होता है उसे समय से पहले ही विवाह हो जाता है। हमारे धर्म शास्त्र में रजस्वला होने के बाद के विवाह को पाप माना गया है, इस कारण बाल विवाह का प्रचलन शुरू हो गया।

12. बहु विवाह :- पुरुष प्रधान समाज में बहु विवाह सामान्य सी बात रही है। एक पुरुष अनेकों स्त्री के साथ विवाह कर सकत था, सिर्फ अपनी काम वासना को पूरा करने के लिये। यह प्रथा उच्च वर्गों में अधिक रहा है। कभी-कभी पत्नियां इतना अधिक हुआ करता था, कि उन स्त्रियों को आत्मगलानि होता था, कि उनकी शादी क्यों हो गयी।

13. अनमोल विवाह :- यह प्रथा बाल विवाह तथा बहु विवाह से भी खतरनाक था। इसमें एक लड़की को जिसका उम्र 10 वर्ष है उसे अपने से 40 वर्ष अधिक के पुरुषों के साथ विवाह करना पड़ता था। विवाह के बाद लड़की जवान हो रही है और उसका पति मर गया। उसे विधवा की जिन्दगी जीना पड़ रहा है।

14. सती प्रथा :- सती प्रथा मानवता को शर्मसार करने वाला प्रथा है जिसमें किसी महिला के पति का मृत्यु हो गया तो उसे भी पति की मृत्यु शय्या पर जलते हुये चिता में झोंक मृत्यु को प्राप्त करना। यह सुनने में सामान्य सा लगता हो किन्तु बहुत कठोर परम्परा है। किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता है। जलते हुये अग्नि में किसी को अपने जान देने के लिये बाध्य करना क्रूरता को प्रदर्शित करता है। सती हाने से पहले भांग धतुरा पिलाया जाता है ताकि नशा में रहे, विरोध न कर सके, और चिता में लिटाकर बांस बांध दिया जाता था। कच्ची लकड़ी को डालकर धुआँ उड़ाया जाता था, ताकि तड़पते हुये दिखाई न दे। उसकी चिल्लाने के आवाज को दबाने के लिये ढोल मजीरा बजाकर दबा दिया जाता था।

15. जौहर प्रथा :- यह प्रथा राजपूत राजाओं में बहुत प्रचलित था जिसमें राजपूत रानियां अपने पति के युद्ध में हार होने के कारण अपने सतीत्व की रक्षा करने लिये अग्नि में अपने को समर्पित कर देते थे।

16. वेश्यावृत्ति :- महिलाओं को उनकी इच्छा के बगैर मजबूर कर उनके साथ यौन संबंध स्थापित करना। उसे किसी कोटे में बंध देना, उसे धन कमाने के लिये अवैध रूप से शारीरिक संबंध बनाने के लिये प्रेरित करना।

14. देवदासी प्रथा :- इस प्रथा में कन्या को मारने के बजाय उसे पालन पोषण हेतु मंदिर को समर्पित कर दिया जाता था। मंदिरों में उन्हें गीत, संगीत, नृत्य आदि सिखाया जाता था ताकि मंदिर के पण्डों एवं पुजारियों का मनोरंजन कर सके तथा उनकी काम वासनाओं को पूरा कर सके। इस प्रकार देवताओं का स्थान भी भोगविलास का अड्डा बन गया था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है, कि महिलाओं का जीवन कांटों से भरा हुआ अत्यधिक दयनीय होता है। अधिकांश सामाजिक नियम महिलाओं के लिये बना होता है। यदि कोई महिला इन नियमों की अवहेलना करता है तो उसे कुल कलंकिनी कहा जाता है। महिलाएं चुपचाप नियमों का पालन करता रहे और पुरुष वर्ग उनको उनके अधिकारों से वंचित करता रहे। उसे कभी टोनही कह कर प्रताड़ित किया गया तो कभी बांझ कह कर, कभी बदचलन बोल कर उपहास किया गया। सती प्रथा के नाम पर जबरजस्ती आत्महत्या के लिये मजबूर किया गया। समाज में महिलाओं पर तरह-तरह के शोषण एवं अन्याय बालात्कार, हिंसा, धोखा, अपमान, यौन शोषण आदि का शिकार हुये। बचपन से अपने माता पिता के घर में काम करती है। शादी के बाद अपने ससुराल में मेंहनत मजदूरी आदि का काम करती है। इस कारण से जल्दी कमजोर होकर बुढ़ी हो जाती।

महिला शसक्तिकरण में सावित्री बाई फुले का योगदान :- सावित्री बाई फुले अपनी सम्पूर्ण जीवन दबे कुचले, शोषितों के मुक्ति दिलाने में, अविद्या रूपी अंधकार को मिटाने एवं महिलाओं को शिक्षित करने तथा समाज सुधार में समर्पित कर दिया।

अस्पृश्य बालक बालिकाओं के लिये पाठशाला की स्थापना :- सावित्री बाई फुले सामाजिक परिवेश का विश्लेषण कर समझ चुके थे, कि यदि समाज में बदलाव लाना है, तो शिक्षा ही प्रमुख अस्त्र है। बिना शिक्षा के रूढ़ सामाजिक व्यवस्था का विरोध करने से ही बदलाव लाना असम्भव कार्य है। इसलिये उसने शिक्षा पर अधिक बल दिया। 15 मई 1948 ई. में पूना शहर की अछूत बस्ती में अस्पृश्य जाति के बालक बालिकाओं के लिये पाठशाला की स्थापना की। इनकी यह पाठशाला अस्पृश्य जाति के लिये देश का पहला पाठशाला बनी। इस तरह से धीरे-धीरे फुले दम्पति ने पूना के आसपास के गांवों में 18 पाठशालाएं खोल दी।

नारी शिक्षा को बढ़ावा :- सावित्री बाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका एवं समाज सेविका तथा भारत में महिला शिक्षा के हिमायती थे। यही नहीं वे भारत में स्त्री मुक्ति आंदोलन की प्रथम महिला प्रणेता थी। सावित्री बाई फुले के साथ सगुणा बाई और मुशलिम महिला फातिमा शेख ने भी महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के काम में अपना योगदान दिया। सावित्री बाई फुले महिलाओं की शिक्षा और महिला आजादी के लिये जीवन भर संघर्ष करते रहे। सावित्री बाई फुले अपने एक अभिभाषण में उसने कहा कि "सभी मानव एक ही ईश्वर की संतान है, यह बात जब तक हमारी समझ में नहीं आती, तब तक ईश्वर को हम समझ नहीं सकते। हम सभी मानव भाई-भाई हैं, ऐसी भावना का निर्माण होना ही ईश्वर की पहचान करने का महत्वपूर्ण लक्षण है। परंतु हम इस बात का उपेक्षा करते हैं, और अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करते हैं, एवं महार-मंग जातियों को अस्पृश्य नीच तथा अछूत समझते हैं। जबकि वे भी उसी भगवान की पूजा करते जो आप लोग करते हो। इस तरह से स्पृश्य-अस्पृश्य में भेद करने वाले परमेश्वर का सही पहचान नहीं कर पाते हैं। मानवता को ऊँच-नीच में, जात पात में बांटने का काम परमेश्वर का नहीं है। बल्कि कुछ स्वार्थी एवं पाखंडी लोगों का काम है। छूआ-छूत मानवाता का कार्य नहीं है, इसका तिरस्कार करना चाहिये। इसी में प्रत्येक मनुष्य, समाज एवं संस्कृति का भलाई है।

भारतीय समाज में प्रचलित कु प्रथा का विरोध :- भारतीय समाज में प्रचलित कु प्रथा जैसे- छूआ-छूत, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, अनमोल विवाह, सती प्रथा, जौहर प्रथा, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा आदि का कड़ा विरोध किया। उसे समाज से पूरी तरह से समाप्त करने के लिये नकारात्मक पहल किया जिसमें सामाजिक रूप से उनके विरोध में जन जागरूकता लाने के लिये संगठन, सम्मेलन, विरोध प्रदर्शन का काम किया। तथा सकारात्मक पहल में शिक्षा को चुन कर शिक्षा के माध्यम से आत्मचेतन जागृत कर लोगों को बुराई के विरुद्ध के संघर्ष करने के लिये प्रेरित किया। विधवा महिला के बाल को काटने की प्रथा थी, बाल काटने के बाद उसे सफेद वस्त्र धारण करना पड़ता था। इस मुण्डन करने की प्रथा को समाप्त करने के लिये पूना में नाईयों की सम्मेलन बुलाई जिसमें नाईयों को समझया और विधवा महिला के मुण्डन प्रथा का कड़ा विरोध किया, नाई समाज ने सिर्फ इस कार्य में मदद ही नहीं की बल्कि यह वचन भी दिया कि हमारे समाज द्वारा विधवा महिलाओं का मुण्डन नहीं किया जायेगा।

समानता पर आधारित समाज का निर्माण :- क्रांति के मसीह सावित्री बाई फुले स्त्री-पुरुष समानता विश्वास करते थे। एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे। जिसमें स्त्री-पुरुष एक मंच में एक साथ खड़ा हो सके।

1. हम सभी ईश्वर के सच्चे संतान हैं। ईश्वर ने स्त्री-पुरुष के निर्माण में किसी प्रकार का भेद नहीं किया है। इस कारण से मानवता के नाते हमें स्त्री-पुरुष में भेद करने का कोई अधिकार नहीं है। स्त्री-पुरुष सभी को समान अधिकार है। अतः महिला को महिला होने के कारण से उसके ऊपर किसी प्रकार प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिये।

2. महिलाओं के लिये उनके अधिकारों की रक्षा में काम करने वाले लेखक एवं समाज सेवक को प्रोत्साहन करे।
3. प्रत्येक पुरुष को महिलाओं के संरक्षण में आगे आना चाहिये। उनके ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिये तत्पर रहना चाहिये।
4. महिलाओं को मादक द्रव्य के सेवन से दूर रहना चाहिये।
5. महिलाओं को उसकी योग्यता एवं सामर्थ के आधार पर पद एवं सम्मान मिलना चाहिये।
6. बहु पत्नि प्रथा का विरोध करना चाहिये।
7. विधवा विवाह का समर्थन करना चाहिये।
8. बाल विवाह का परित्याग करना चाहिये।
9. महिलाओं को ऐसे धर्म से दूर रहना चाहिये जो उनके परिछाई पड़ने से अपवित्र हो जाता हो।
10. महिलाओं को भी अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय का विरोध करना चाहिये।

उपसंहार :- सावित्री बाई फुले भारतीय समाज में फैले ऐसे कु प्रथा जो महिलाओं के उत्थान में बाधक बनता हो उनका खुलकर विरोध किया। ये पुनीत कार्य ऐसे समय में करने का साहस किया जब लोगों में धर्म एवं सामाजिक रूढ़ परम्परा के विरुद्ध सर उठाने की सामर्थ नहीं कर पा रहे थे। उसने अपने परिवार की सुख-दुःख की परवाह न करते हुये। देश के शोषित वंचित पीड़ित महिलाओं के अधिकारों के लिये अपना जीवन कुर्बान कर दिया। जो भारतीय महिलाओं की समाज सुधार की दिशा में अभूतपूर्व, क्रांतिकारी एवं मील का पत्थर साबित हुआ। इस तरह से महिलाओं की जीवन में बदलाव लाने एवं क्रांतिकारी परिवर्तन चेतना जागृत करने वाली सावित्री बाई फुले सही अर्थों में प्रकाश पुंज रही है।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. डॉ. राव साहेब कसबे – सावित्री बाई फुले : सामाजिक क्रांति की प्रणेता।
2. डॉ. जनार्दन बाघमारे – महात्मा फूले का सामाजिक क्रांतिवाद।
3. एम.जी. माली – क्रांति ज्योति बाई फूले।
4. के. सी. श्रीवास्तव – प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति।
5. ए. के. मित्तल – भारत का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इतिहास।
6. चरन सिंह भण्डारी – शोषित समाज के क्रांतिकारी प्रवर्तक।
7. माता प्रसाद – भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रेरण श्रोत।
8. ज्योति राव फुले – आधुनिक भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रांति के प्रणेता।
9. ए. आर. देसाई – सोशल बैकग्राउण्ड ऑफ नेशनल मूवमेन्ट।
10. डॉ. के. एल. खुराना – भारत का सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक इतिहास।